कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, धौलपुर

क्रमांकः– DoIT/2018-19/358-363 दिनांकः–19.04.2018

सीमित निविदा

राजस्थान इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक F4.2(181)/RISL/Tech/2016/284 दिनांक 09/04/2018 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार जिले में राजनेट, भामाशाह(Tour & Travelling), भामाशाह(Contingency, Misc., Exp.) योजनाओं के अंतर्गत 6 माह की अवधि के लिए एक वाहन (टैक्सी परमिट) मय ड्राईवर की आवश्यकता है। इस हेतु इच्छुक निविदादाताओं से न्यूनतम दरों सहित निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक	जिला	दर व कि0मी0 (प्रति माह)
01.	धौलपुर	**अधिकतम दूरी –** 2000 कि0मी प्रतिमाह **अधिकतम दर –** 1500 कि.मी. तक अधिकतम रु 20,000/– अतिरिक्त 500 कि.मी. तक अधिकतम रु 7.25/– प्रति कि.मी.

निविदा निम्न शर्तो के अधीन रहेगी :–

1. कोटेशनदाता से सीलबंद कोटेशन दिनांक 20/04/2018 से दिनांक 01/05/2018 तक कार्यालय समय शाम 6 बजे तक स्वीकार की जावेंगी व दिनांक 02/05/2018 को मध्यान्ह पश्चात 02 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगीं।
2. कोटेशन की विस्तृत शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस व कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं।
3. निविदादाता द्वारा दरें 1500 कि.मी. तक एकमुश्त एवं तत्पश्चात प्रति कि.मी. दी जावेंगी।
4. कोटेशन हेतु एक सादा कागज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता हेतु आवेदन लिख कर एवं वाहन के संबंधित आवश्यक कागज यथा रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राईविंग लाईसेंस आदि बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करावें। लिफाफे के उपर वाहन हेतु निविदाऐं एवं अपना नाम, पता व मोबाईल नं0 अवश्य लिखें।
5. उक्त अधिकतम देय राशि में वाहन का ईंधन खर्च, मैंटीनेंस इत्यादि शामिल हैं। अन्य किसी प्रकार का भत्ता वाहन मालिक/ चालक को देय नहीं होगा।
6. वाहन 6 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
7. आवश्यकता होने पर अवकाश दिवस में भी वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में बाजार मूल्य पर वाहन लगाया जावेगा एवं खर्च को वाहन उपलब्धकर्ता को देय राशि से वसूल किया जावेगा।
8. वाहन मालिक/कोटेशनदाता द्वारा राशि रु 500/– के स्टांप पेपर पर कार्यालय द्वारा अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध के पश्चात ही यह कार्यादेश लागू माना जावेगा।
9. वाहन चालक द्वारा किसी भी प्रकार का नशा एवं अनुचित आचरण नहीं किया जावेगा। वाहन चालक को दोषी पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित है।
10. ड्राईवर द्वारा लॉग बुक संधारण कर प्रत्येक यात्रा का विवरण दर्ज किया जावेगा।
11. **यदि वाहन टैक्सी परमिट न हो तो इस आशय का चालान राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति अनुबंध से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।**
12. किसी भी शर्त में अस्पष्टता/विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के नियमानुसार पालन किया जावेगा।
13. इस कार्यालय के पास किसी भी समय उक्त अनुबन्ध की शर्तों को बदलने/अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

Phone: 05642-221044 Email: dlo.doit.dholpur@rajasthan.gov.in
Website:http//www.dholpur.rajasthan.gov.in

D:\LetterPad\Store.docx

14. इस हेतु वेबसाईट dholpur.rajasthan.gov.in एवं ई प्रॉक्यूरमेंट पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर जानकारी देखी जा सकती है।

उपनिदेशक (ए0सी0पी),
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
धौलपुर

क्रमांकः– DoIT/2018-19/358-363 दिनांकः–19.04.2018

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु :–</u>

1. श्रीमान प्रबंध निदेशक, राजस्थान इंफो सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर।
3. श्रीमान तकनीकी निदेशक, राजस्थान इंफो सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला कलक्ट्रेट/जिला परिषद/तहसील/जिला कोषागार।
5. प्रोग्रामर धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपउ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (ए0सी0पी),
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
धौलपुर